संख्या– 108/नौ–2–04(62पे0)/2003

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरानदून ।

पेयजल अनुभाग

देहरादून: दिनांक 07 फरवरी जनवरी, 2004

विषय:– जनपद देहरादून बुरासखण्ड पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–02/अप्रेजल–देहरादून, दिनांक 12.01.2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल त्वरित ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद देहरादून की बुरासखण्ड पम्पिंग पेयजल योजना के रू0 465.57 लाख की लागत के आगणन के परीक्षणोपरांत टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रू0 427.00 लाख (रू0 चार करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) की लागत के प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उपरोक्त प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न0 शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

(1)आगणन की उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2)कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

(3)कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4)एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5)कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए उन अपने विभाग की स्वीकृत प्रचलित नियमों/दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

क्रमशः–2

(6)कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

(7)आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8)निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाए ।

(9)कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) ऐसे क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प क्या हो सकते है, के संबंध में भी गम्भीरता से विचार कर लिया जाय ।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2660/वि0अनु0/2003 दिनांक 03 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव ।

संख्या–108(1)/नी–2–04(01पे0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1)महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून ।
(2)आयुक्त,गढवाल मण्डल, देहरादून ।
(3)जिलाधिकारी, देहरादून।
(4)अधिशासी अभियंता, उत्तरांचल पेयजल निगम, प्रकल्प शाखा देहरादून को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया योजना से सम्बन्धित सहायक अभियंता/अवर अभियंता को निर्देशित करें कि वे शासन से सम्पर्क कर आगणन में की गयी कटौतियों के विवरण को नोट कर लें ।
(5)वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
(6)निजी सचिव,मा0मुख्य मंत्री/मा0पेयजल मंत्री, उत्तरांचल ।
(7)निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय,देहरादून ।
(8)श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग ।
(9) मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
(10)निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव ।